

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला धौलपुर/2014/

जयपुर, दिनांक: - 20-10-14

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला धौलपुर/2014 दिनांक: 14. 8.14 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/ प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। उक्त आदर्श विद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें/परिवेदनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों से हटाकर पुनः यथावत संचालन की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति का नाम :-धौलपुर

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	बसईनबाब	बसईनबाब	रामावि नन्दपुरा	राप्रावि गोदूपुरा	राप्रावि गोदूपुरा	अलग राजस्व ग्राम होने के कारण


पंचायत समिति का नाम :-बाडी

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	टौटरी	रेती	राउमावि टौटरी	राप्रावि रेती	राप्रावि रेती	राजस्व ग्राम अलग होने के कारण
2	सेवरपाली	बण्डापुरा	राउमावि सेवरपाली	राप्रावि बण्डापुरा	राप्रावि बण्डापुरा	दूरी 4 कि.मी. होने एवं डांग क्षेत्र
3	पिदावली	नन्दपुरा	रामावि पिदावली	राप्रावि नन्दपुरा	राप्रावि नन्दपुरा	दूरी 3.5 कि.मी. होने के कारण
4	कंचनपुर	कंचनपुर	राउमावि कंचनपुर	राप्रावि मठगुसाई	राप्रावि मठगुसाई	राजस्वग्राम अलग डांग क्षेत्र होने के कारण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
5	धनौरा	सौहास	राउमावि धनौरा	राप्रावि सौहास	राप्रावि सौहास	रास्त दुर्गम होने दूरी 3 कि.मी.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


आज्ञा से

  
20/10/14

(अन्तर सिंह नेहरा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलक्टर.....
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक .....
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा .....
21. रक्षित पत्रावली।

  
20/10/14

संयुक्त शासन सचिव